

क्र.सं	पद का नाम	शैक्षिक अर्हता
1	स्टाफ नर्स (पुरुष) (चिकित्सा शिक्षा) एवं प्रशिक्षण विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग)	1-स्टाफ नर्स (पुरुष) के पद पर सीधी भर्ती के लिये अर्हता के पास- (एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से विज्ञान के साथ हाईस्कूल परीक्षा एवं इम्प्टरीमंडिटेट परीक्षा या संरक्षक द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है; (दो) संयुक्त पदों तथा धारी परिवर्धन में रजिस्ट्रीकरण योग्य सामान्य नर्सिंग और धारी कम में डिप्लोमा या नर्सिंग में विज्ञान स्नातक उपाधि या संयुक्त प्रान्त नर्स और धारी परिवर्धन में रजिस्ट्रीकरण योग्य सार्द्धिकावली में डिप्लोमा धारण करना आवश्यक है; (तीन) संयुक्त पदों तथा धारी परिवर्धन में नर्स तथा धारी परिवर्धन में नर्स सार्द्धिकावली के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र धारित करना या संयुक्त प्रान्त नर्स तथा धारी परिवर्धन से नर्स और धारी के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र धारित करना आवश्यक होगा।

क्र.सं	पद का नाम	शैक्षिक अर्हता
2	स्टाफ नर्स (महिला) (चिकित्सा शिक्षा) एवं प्रशिक्षण विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग)	2-स्टाफ नर्स (महिला) के पद पर सीधी भर्ती के लिये अर्हता के पास- (एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से विज्ञान के साथ हाईस्कूल परीक्षा एवं इम्प्टरीमंडिटेट परीक्षा या संरक्षक द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। (दो) उत्तर प्रदेश नर्स तथा धारी परिवर्धन में रजिस्ट्रीकरण योग्य सामान्य उपाधिवाली एवं प्रवृत्ति प्रशिक्षण में डिप्लोमा अथवा नर्सिंग में स्नातक (बी.एससी) उपाधि हो। (तीन) उत्तर प्रदेश नर्स तथा धारी परिवर्धन से नर्स और धारी के रूप में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र हो।

- उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा नियामकली, 1979
- उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (व्यवृत्त संशोधन) नियामकली, 2016
- उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (पंचम संशोधन) नियामकली, 2019

नोट- माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के पत्र सं- परिषद-9/743 दिनांक 25.10.2016 द्वारा निम्नांकित परीक्षा संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाओं को हाईस्कूल परीक्षा के समकक्ष स्वीकार किया गया है। उक्त के अतिरिक्त किसी भी संस्था द्वारा संचालित हाईस्कूल परीक्षा (कक्षा-10) मान्य नहीं है-

- 1- बॉर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (अन्ध प्रदेश)।
- 2- बॉर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (गुजरात), अहमद।
- 3- बिहार स्कूल एजामिनेशन बोर्ड, पटना।
- 4- सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, नई दिल्ली।
- 5- छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, रायपुर।
- 6- काउंसिल फॉर डि.एचिएन स्कूल सर्टीफिकेट एजामिनेशन, नई दिल्ली।
- 7- मेवाळ एजुकेशन इन्स्टीट्यूट (डी.एच.यू.यू.ए.) आगरा।
- 8- बॉर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (केरल), मंगलूर।
- 9- गुजरात सेकेंडरी एण्ड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड, गांधीनगर, गुजरात।

- 10- बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा, भिवानी।
- 11- हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, धरमशाला, कांगड़ा।
- 12- एण्ड एण्ड को स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जम्मू।
- 13- आरक्षक एकेडीमा काउन्सिल, रीवा।
- 14- कर्नाटक सेकेंडरी एजुकेशन एजामिनेशन बोर्ड, बंगलूर।
- 15- उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, गोरखपुर।
- 16- महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एण्ड हायर सेकेंडरी एजुकेशन पुणे।
- 17- बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, मध्य प्रदेश, भोपाल।
- 18- बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, मणिपुर, इम्फाल।
- 19- मालावा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, मेवायल।
- 20- मिजोरम बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, ऐजात।
- 21- नागालैण्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, कोहिमा।
- 22- बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उड़ीसा, कटक।
- 23- पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, मोहाली।
- 24- बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, अजमेर।
- 25- स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजामिनेशन, (सेकेंडरी) एण्ड बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजामिनेशन, तिलनामूर।
- 26- त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, अगरतला।

17- वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, कोलकाता।

27- बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन उत्तराखण्ड, रामनगर, नैनीताल।

28- उडुपी मद्रसा शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा संचालित माली परीक्षा, अरबी और मुली परीक्षा फारसी।

29- माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, उडुपी द्वारा संचालित पूर्व मध्यमा अथवा कोई अन्य उच्चतम परीक्षा।

31- राष्ट्रीय अधीन स्कूल नई दिल्ली द्वारा संचालित सेकेंडरी (माध्यमिक) परीक्षा इस प्रतिबन्ध के साथ कि यह परीक्षा कम से कम छ. विषयों में उत्तीर्ण की गई हो।

32- भारत में विधि द्वारा स्थापित ऐसे परीक्षा संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा संचालित हाईस्कूल/उपनिवेश अथवा इसके समकक्ष संचालित परीक्षाओं जिन्हें सम्बन्ध में सूचित, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन का समाधान होना गूहा है, परिषद की हाईस्कूल परीक्षा के समकक्ष माना नहीं।

33- ऐसे छात्र/छात्रायां जिन्होंने कक्षा 8 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से उर्वीय या उररते अतिक अतिक का औद्योगिक प्रशिक्षण पूरा कर राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड (एनएटीपीओ) द्वारा जारी राष्ट्रीय व्यावसाय प्रमाण-पत्र (एनएटीपीओ) अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश (एनएटीपीओ) द्वारा जारी राज्य स्तरीय प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, उन्हें माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित हाईस्कूल (कक्षा-10) की हिन्दी विषय की परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षाओं के रूप में उत्तीर्ण करने की दशा में परिषद की हाईस्कूल परीक्षा

(कक्षा-10) के समकक्ष माना जायेगा।

34- फुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, उत्तराखण्ड द्वारा संचालित विद्यार्थिकों परीक्षा।

35- महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक द्वारा संचालित पूर्व मध्यमा परीक्षा। प्रतिबन्ध यह है कि पूर्व मध्यमा परीक्षा कम से कम पांच विषयों में, जिनमें गणित के अतिरिक्त दो अन्य विषय सम्मिलित हों, सहित उत्तीर्ण की गई हो। वर्ष-1998 से प्रभावी माना जाय।

उक्त के अतिरिक्त किसी भी परीक्षा संस्था द्वारा संचालित परीक्षाओं को परिषद की इम्प्टरीमंडिटेट परीक्षा (कक्षा-12) के समकक्ष मान्यता प्रदान की गई है-

- 1- बॉर्ड ऑफ इम्प्टरीमंडिटेट एजुकेशन (अन्ध प्रदेश)।
- 2- अरम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउन्सिल, गुवाहाटी।
- 3- गणेश्वर ऑफ कर्नाटक डिपार्टमेंट ऑफ प्री-यूनिवर्सिटी एजुकेशन, बंगलूर।

4- कानूनसि अर्थो हायर सेकेंडरी एजुकेशन, उड़ीसा।

5- बॉर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन उत्तराखण्ड, रामनगर, नैनीताल।

6- गुजरात सेकेंडरी एण्ड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड गांधीनगर।

7- केरला बोर्ड ऑफ पब्लिक एजामिनेशन, तिरुवनन्तपुरम।

8- महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एण्ड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, पुणे।

9- कानूनसि अर्थो हायर सेकेंडरी एजुकेशन, मणीपुर, इम्फाल।

10- वेस्ट बंगाल काउन्सिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, कोलकाता।

11- माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, उडुपी द्वारा संचालित उत्तर मध्यमा परीक्षा।

12- उत्तर प्रदेश सरकारी शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा संचालित आर्यभट्ट परीक्षा।

13- बिहार स्कूल एजामिनेशन बोर्ड, पटना।

14- सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, नई दिल्ली।

15- छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, रायपुर।

16- कानूनसि फार् डी इण्टिग्रेशन स्कूल सर्टीफिकेट एजामिनेशन, नई दिल्ली।

17- मेवाळ एजुकेशन इन्स्टीट्यूट (डी.एच.यू.यू.) दारावाण, अजमेर।

18- बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा, भिवानी।

19- हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, कांगड़ा।

21- एण्ड एण्ड को स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जम्मू।

22- आरक्षक एकेडीमा काउन्सिल, रीवा।

23- माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्य प्रदेश, भोपाल।

24- मेवाळ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, मेवायल।

25- मिजोरम बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, ऐजात।

26- नागालैण्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, कोहिमा।

27- पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, मोहाली।

28- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।

29- स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजामिनेशन (सेकेंडरी) एवं बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजामिनेशन तिलनामूर।

30- त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, अगरतला।

31- राष्ट्रीय अधीन स्कूल नई दिल्ली द्वारा संचालित सीनियर सेकेंडरी (उच्च माध्यमिक) परीक्षा इस प्रतिबन्ध के साथ कि यह परीक्षा कम से कम छह विषयों में उत्तीर्ण की गई हो।

32- भारत में विधि द्वारा स्थापित ऐसे परीक्षा संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा संचालित हाईस्कूल/उपनिवेश अथवा इसके समकक्ष संचालित परीक्षाओं जिन्हें सम्बन्ध में सूचित, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन का समाधान हो गया है, परिषद की हाईस्कूल परीक्षा के समकक्ष मान्य नहीं।

33- डॉ. शकुन्तला मिश्रा पुनर्वसि विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा संचालित पी-डीग्री सीनियर के साथ उच्च स्तरीय उच्च शिक्षण के साथ कि यह परीक्षा पांच विषयों के साथ उत्तीर्ण की गयी हो।

34- ऐसे छात्र/छात्रायां जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद की कक्षा 10 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से उर्वीय या उररते अतिक अतिक का औद्योगिक प्रशिक्षण पूरा कर राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनएटीपीओ) द्वारा जारी राष्ट्रीय व्यावसाय प्रमाण-पत्र (एनएटीपीओ) अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश (एनएटीपीओ) द्वारा जारी राज्य स्तरीय प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, उन्हें माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित हाईस्कूल/उपनिवेश (कक्षा-12) के समकक्ष माना जायेगा।

35- प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित तीन वर्षीय डिप्लोमा परीक्षा।

36- महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक द्वारा संचालित उत्तर मध्यमा परीक्षा। प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर मध्यमा परीक्षा कम से कम पांच विषयों में, जिनमें गणित के अतिरिक्त दो अन्य विषय सम्मिलित हों, सहित उत्तीर्ण की गई हो। वर्ष-1998 से प्रभावी माना जाय।

उक्त के अतिरिक्त किसी भी परीक्षा संस्था द्वारा संचालित हाईस्कूल/उपनिवेश परीक्षा (कक्षा-12) मान्य नहीं है।

10. सी.सी.टी.टी. की प्रक्रिया- स्टाफ नर्स (पुरुष/महिला) पर हेतु नई उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (व्यवृत्त संशोधन) नियामकली, 2016 के नियम-15 (क) के प्राविधानानुसार निम्नवत् होगी-

चयन एक से अधिक नामों/अर्हताओं की योग्यता सूची निम्नलिखित श्रेणियों से किया की जायेगी- (क) लिखित परीक्षा पच्चासी अंको की होगी। (ख) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें विभाग उत्तर प्रदेश एवं चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, 2020 में सविदा के अधापर व कार्यरत किसी व्यक्ति को अधिकतम पन्द्रह अंको के अत्याधुनिक निम्नलिखित श्रेणियों में अंक प्रदान किये जायेंगे। (एक) सविदा के अधापर व सेवा के ग्रथम पूर्व बंधे तिरे- --- तीन अंको। (दो) सविदा के अधापर व सेवा के अगले एवं चरबके पूर्व बंधे तिरे- --- तीन अंक प्रति वर्ष के लिए। (ग) खाण्ड (क) के अधीन प्रत्येक अर्हता धारिता प्राप्त अंको को, जहां लागू हो, खण्ड (क) के अधीन प्राप्त अंको के साथ जोड़ दिया जायेगा।

नोट- सविदा के अधापर व स्टाफ नर्स के रूप में बंध के संबंधी सख्त प्राविकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा जिसका प्रत्येक परिशिष्ट-5 में दिया गया है।

2. आवेदन Submitt किये जाने की अंतिम तिथि तक समस्त अर्हताएं पूर्ण होना आवश्यक है।

11. आर्य सीमा- (1) अर्हताओं को 01 जुलाई, 2023 को 21 वर्ष की आयु अथवा पूर्व करनी चाहिए और उररते 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात् उररका जन्म 01 जुलाई, 1983 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांगज एवं अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है अर्थात् अर्हताओं का जन्म 01 जुलाई, 1968 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। (2) अधिकतम आयु सीमा में छूट- (क) उडुपी के अनुसूचित जाति, उडुपी के अनुसूचित जनजाति, उडुपी के अन्य पिछड़े वर्ग के अर्हताओं, उडुपी के वर्गीकृत खेतों के कृषक खिलाड़ियों तथा उडुपी राज्य सरकार के राजकीय कर्मचारियों, उडुपी बैचुल शिक्षा परिषदीय शिक्षक/शिक्षकलगत राजकीय तथा उडुपी के अनुसूचित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/कर्मचारियों के लिये अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष के छूट अनुमति होगी अर्थात् उररका जन्म 02 जुलाई, 1978 के लिये अधिक होना चाहिए। (3) उडुपी के समाज के दिव्यांग अर्हताओं के लिये अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष अधिक होगी। (ग) उडुपी के आयात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अत्यकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों/03 वर्ष के बीनर को के लिये अधिकतम आयु सीमा में सेना की गई संघे अरधि + 03 वर्ष के बीनर के लिये अनुभव होगी।

परन्तु यह और कि ऐसे अर्हताओं को लिये जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें विभाग, उत्तर प्रदेश या चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, उडुपी में सविदा के अधापर व स्टफ नर्स के रूप में कार्यरत हैं और जो इस नियामकली के नियम-10 में विहित अर्हताएं धारित करते हैं, अधिकतम आयु सीमा उररने वर्ष अधिक होगी, जिनमें वर्ष व सेविदा के अधापर व सेना में पूर्व का चुके हैं, जो कि अधिकतम उम्र पांच वर्ष के अत्याधुनिक होगी जो सीधी भर्ती के विचारार्थ उरर अर्ह बनने के लिये आवश्यक समझी जाये।

परन्तु यह भी कि ऐसे अर्हताओं को लिये जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें विभाग, उत्तर प्रदेश या चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, उडुपी में सविदा के अधापर व स्टफ नर्स के रूप में कार्यरत हैं और जो इस नियामकली के नियम-10 में विहित अर्हताएं धारित करते हैं, अधिकतम आयु सीमा उररने वर्ष अधिक होगी, जिनमें वर्ष व सेविदा के अधापर व सेना में पूर्व का चुके हैं, जो कि अधिकतम उम्र पांच वर्ष के अत्याधुनिक होगी जो सीधी भर्ती के विचारार्थ उरर अर्ह बनने के लिये आवश्यक समझी जाये।

परन्तु यह भी कि ऐसे अर्हताओं को लिये जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें विभाग, उत्तर प्रदेश या चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, उडुपी में सविदा के अधापर व स्टफ नर्स के रूप में कार्यरत हैं और जो इस नियामकली के नियम-10 में विहित अर्हताएं धारित करते हैं, अधिकतम आयु सीमा उररने वर्ष अधिक होगी, जिनमें वर्ष व सेविदा के अधापर व सेना में पूर्व का चुके हैं, जो कि अधिकतम उम्र पांच वर्ष के अत्याधुनिक होगी जो सीधी भर्ती के विचारार्थ उरर अर्ह बनने के लिये आवश्यक समझी जाये।

22. स्टाफ नर्स (पुरुष/महिला) परीक्षा 2023 मुख्य (लिखित) परीक्षा के संबंध में कतिपय सूचनायें- (1) प्राविधिक परीक्षा में सफल होने वाले अर्हताओं की सूची (लिखित परीक्षा) में नमूनांकित लिये जायेगी जिसके लिये आयोग के निर्देशानुसार सफल अर्हताओं को पुनः आवेदन करना होगा एवं अनास्थित (उपनिवेश) अर्हताओं, उडुपी के अधीक रूप से कर्मजोर वर्ग के अर्हताओं, उडुपी के अन्य पिछड़े वर्ग के अर्हताओं तथा उडुपी के बहार के अर्हताओं के लिये परीक्षा शुल्क रु 200/- एवं आर-लाईन परीक्षा शुल्क रु 25/- उरर रु 2025/- तथा उडुपी के अनुसूचित जाति/ उडुपी के अनुसूचित जनजाति के अर्हताओं हेतु परीक्षा शुल्क रु 80/- एवं आर-लाईन परीक्षा शुल्क रु 25/- उरर रु 2025/105/- निर्धारित है। उडुपी के दिव्यांग अर्हताओं को मुख्य परीक्षा हेतु कोई शुल्क देय नहीं है परन्तु उरर आर-लाईन प्रक्रिया शुल्क रु 200/- मात्र देना होगा। उडुपी के सेना के भूतपूर्व सैनिकों हेतु परीक्षा शुल्क रु 80/- एवं आर-लाईन प्रक्रिया शुल्क रु 25/- उरर रु 2025/105/- निर्धारित है।

उडुपी के स्वरतज्ञा सेवा के अधीन सेना में अस्थित एवं भिला, कुशल सिलाडी अर्हताओं जिनमें श्रेणी से संबंधित होनी उररने उरर व/श्रेणी हेतु शुल्क देना करना होगा। (2) अर्हताओं सावकानी पूर्वक नोट कर तें कि प्रत्येक परीक्षा में से उररी अनुक्रमणिक पर बैठेगें जो उररें प्राप्रभिक परीक्षा के लिये अस्थित किया गया है।

(3) मुख्य परीक्षा हेतु तिथियां तथा परीक्षा केंद्र वार में आयोग द्वारा निर्धारित किये जायेगी, जिनकी सूचना ई-प्रदेश पर के माध्यम से दी जायेगी। (4) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अर्हताओं को अपने सेवोयोजक का समक प्राविधिकी द्वारा निर्गत अनामत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (5) विनियारवार् के लिए अप्रत्याक्षता अर्हताओं से क्या समकानी जायेगी जो अस्थित होगी और तत्परस्थात् उररने कोई परिवर्तन अनुभव नहीं होगा।

नोट- स्टाफ नर्स (पुरुष/महिला) परीक्षा 2023 की मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) के आवेदन पत्रों में किये जाने वाले समस्त दार्ता की पुष्टि में स्वयंमागतिक अंक पत्र/प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। यदि वे समस्त दार्ता की पुष्टि में स्वयंमागतिक अंक पत्र/ प्रमाण-पत्र संलग्न करने पर आवेदन पत्र की अंतिम तिथि तक प्रेषित नहीं करते हैं तो उररका अर्हता निरस्त कर दिया जायेगा।

13. अर्हताओं के लिए महत्त्वपूर्ण अनुदेश- (1) उडुपी लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार करनी की अर्हताओं को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के अधापर व पुष्टि नहीं की जा सकती है, देने पर अरथा अथवा किसी कदाचार पर आयोग की प्रवनापरिष्ठा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से अधिकतम 05 वर्ष के तक प्रतिवर्तिता किया जा सकता है।

(2) यदि O.T.R. में उल्लिखित तथ्यों पर आधारित सूचना से संबंधित कोई परिवर्तन किया जाना है तो उक्त परिवर्तन के पर्यायत Dashboard पर Sync करना अनिवार्य होगा, अरथा परिवर्तन अनुभव नहीं होगा। इत संबंध में तृटि सुचना/संशोधन के लिये अप्रत्याक्षता अर्हताओं से क्या समकानी जायेगी जो अस्थित होगी और तत्परस्थात् उररने कोई परिवर्तन अनुभव नहीं होगा।

उररका अर्हता निरस्त कर दिया जायेगा। (3) हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन-तिथि ही मान्य होगी। अर्हताओं को मुख्य परीक्षा) के आवेदन पत्र में अंकित हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जन्मतिथि हेतु उररत प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अथवा उरर अर्हताओं अर्हता अर्हता नहीं होगा तथा उररत प्रमाण पत्र संलग्न न करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। (4) प्रत्येक परीक्षा के आवेदन पत्र में सक् अर्हताओं को उचित योग्यताओं के सम्बन्ध में किये गये दार्ता की पुष्टि में अक्षरप्र. प्रमाण पत्र एवं परीक्षा की स्वर. प्रमाणित प्रसि संलग्न करना होगा। दार्ता की पुष्टि में प्रमाण पत्र/अधिकृत संलग्न न करने पर अरथा प्रमाण पत्र/अंक पत्र स्वर. प्रमाणित न होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा। (5) समाज के दिव्यांग अर्हताओं को उडुपी लोक सेवा (सार्विक) सेवा से विकलांग, रतलता समक सनायोगों के अधीन और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण (संशोधन) अनिवार्य, 2021 की धारा-3 में उल्लिखित दिव्यांगता से ग्रस्त होने सम्बन्धी प्राविकारी द्वारा जो चिकित्साधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा निर्णय एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जो

हस्ताक्षरित हो, प्रस्तुत करने पर शासन द्वारा विहित किए गए पदों पर दिव्यांग की उप श्रेणी के अंतर्गत ही आरक्षण का लाभ अनुभवा होगा। (6) आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक मूलपूर्व सैनिकों को सेवा सेवा से अनुभव प्राप्त अनारक्ष्यक है। (7) परीक्षा की तिथि, समय तथा केंद्रों आदि के सम्बन्ध में आरक्ष्यकों सहित ई-प्रवेश पत्र के सम्बन्ध में सूचना दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवेदित केंद्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केंद्र पर्यटन अनुभव नहीं होगा तथा इस सम्बन्ध में कोई भी प्रश्नकार पर स्वीकार नहीं होगा। (8) जो अभ्यर्थी कालांतर में विद्यार्थन की शर्तों के अनुसार आई नहीं पाये जायेंगे, उनका आवेदन/पत्र नष्ट/निरस्त कर दिया जायेगा और प्रमुख परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अम्बन्धन/पत्र के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। (9) आवेदन पत्र निश्चित प्राप्ति पर न होने पर, आवेदन पत्र में जमावृत्ति का उल्लेख न करने पर, त्रुटिपूर्ण जमावृत्ति अतिक्रम करने पर, अधिव्यवस्था या अत्यव्यवस्था होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अंदाज धारित न करने पर, आवेदन पत्र प्राप्ति जाने के पश्चात् निश्चित अतिरिक्त अधिक के बाद आवेदन पत्र प्राप्त होने पर तथा आवेदन पत्र के घोषणा पत्र के नीचे हस्ताक्षर न करने पर आवेदन पत्र/अम्बन्धन निरस्त कर दिया जायेगा। (10) आयोग अभ्यर्थियों को उनके आवेदन पत्र की सरकारी जांच पर आधिकारिक प्रवेश दे सक्ते हैं, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जायेंगे कि अभ्यर्थी आई नहीं था अथवा आवेदन पत्र प्रारम्भिक काल के बिना ही स्वीकार करने अम्बन्धन नहीं था, उसका अम्बन्धन निरस्त कर दिया जायेगा और यदि चयनोपनयन सल्लुप्त भी कर दिया गया हो तो आयोग को संशुद्धि वापस ले ले जायेगी। (11) कदाश्च अम्बन्धन परीक्षा में न्यूनतम करने, अनुशासनविहीनता, दुर्व्यवहार अथवा आचरणहीनता के कारण आरक्ष्यकों का अम्बन्धन निरस्त कर दिया जायेगा। (12) इन अर्हताओं की अवेष्टनका करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा अभ्यर्थियों में होने वाला अन्य सम्बन्ध परीक्षाओं/चयनों से प्रतिस्पर्धा किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। (12) आयोग से सही पत्राचार में परीक्षा का नाम, विद्यार्थन संख्या, O.T.R./Application ID Number, जमावृत्ति, पिता/पति का नाम तथा अनुक्रमांक (यदि दिया गया) का उल्लेख अवेष्टन होना चाहिए। (13) नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को निगमों में अपेक्षित स्वास्थ्यपरीक्षण करना होगा। (14) प्रारम्भिक परीक्षा के आचार पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु विधियों के 15 गुना अम्बन्धी सख्त घोषित किये जायेंगे। (15) ऐसे अभ्यर्थी जो पद के लिये निश्चित अर्हताओं परीक्षा (पद की अनिवार्य अर्हता) में सम्मिलित हो रहे हैं, वे इस परीक्षा हेतु आवेदन न करें, क्योंकि वे नहीं हैं। (16) अभ्यर्थी ओएसआर उत्तर पत्र को भरने में केवल कोले बावट्ट पत्र को प्रयोग करें। फोटोकॉपी या किसी अन्य पेन का प्रयोग कदापि न करें। (17) अभ्यर्थी उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर मार्की गणनी सूचना संबंधित गोलों को काला कलम सही-सही भर यांत्रिक अभ्यर्थियों द्वारा उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर गोलों में बरी आई सूचनाएँ, जो स्कैनर मशीन द्वारा बरी जा सकें, ही आयोग द्वारा स्वीकार की जाएगी। इन्हे रिक्त छोड़ना अथवा त्रुटिपूर्ण भरने की विधियों में OMR Answer Sheet का न्यूनतम आयोग द्वारा की गयी जायेगा जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरपत्रिका होगी। ओएसआर उत्तर पत्रक में बरी आई सूचना को स्वाइन्डर, ब्लेड अथवा रबर आदि से हटाना नहीं चाये। (18) OMR Answer Sheets दो प्रतियों में एक मुद्रित प्रति (Original Copy) तथा दूसरी अम्बन्धी प्रति (Candidate's Copy) रहेगी। परीक्षा समाप्त के पश्चात् अभ्यर्थी OMR Answer Sheets को मूल प्रति (Original Copy) अनरीक्षक को सौंप देना तथा अम्बन्धी प्रति (Candidate's Copy) अपने साथ ले जायेंगे। (19) प्रारम्भिक परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकारक प्रश्नपत्रों में अभ्यर्थी द्वारा दिये गये गलत उत्तरों पर ढण्ड (Negative Marking) की व्यवस्था निम्नवत् लागू होगी। 1. प्रत्येक प्रश्न के लिये ढण्ड केवलिक उत्तर है। 2. अनिश्चित रूप प्रश्नक प्रश्न के लिये ढण्ड गे एक गुना उत्तर के लिये प्रश्न हेतु निम्ना दिये गये अंको का 1/3 (0.33) ढण्ड के रूप में काटा जायेगा। 2. यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी इस प्रश्न के लिये उपयुक्तानुसार ही उसी तरह ढण्ड दिया जायेगा। 3. यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अथवा उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिये कोई ढण्ड नहीं दिया जायेगा। (20) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जमावृत्ति अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम दस्ता मानक (Minimum Efficiency Standard) 35% निश्चित है अर्थात् इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि (प्रारम्भिक/मुख्य) परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेयदा/यवन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। (21) उत्तर प्रश्न, अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम दस्ता मानक (Minimum Efficiency Standard) 40% निश्चित है अर्थात् ऐसे अभ्यर्थी यदि (प्रारम्भिक/मुख्य) परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेयदा/यवन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। (22) ऐसे सभी अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दस्ता मानक (Minimum Efficiency Standard) से कम अंक पाने पर अर्हता माने जायेंगे। (23) आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों/अभ्यर्थियों को अतिरिक्त चयन में अनुसूचित श्रेणी के पदों पर तभी सामर्थ्याजित किया जायेगा जिनमें दावत द्वारा प्रारम्भिक/मुख्य परीक्षा के स्तर पर योग्यता मानक में कोई लाभ/विषयावस न किया गया हो। (22) यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रमाण पत्र फर्मा अथवा कृद्वरिणित Submit किया गया नया तो उसे लोके सख्त सेवा आयोग के सभी चयनों से बन्द के लिये प्रस्तावित किया जायेगा तथा उसके विरुद्ध आई.पी.सी. की संमत धाराओं में कार्यवाही की जायेगी। (23) इन अभ्यर्थियों के अम्बन्धन निरस्त कर दिये जाते हैं वे अभ्यर्थी अम्बन्धन निरस्त होने के पश्चात् अभ्यर्थी नहीं रह जाते हैं, अतः उन अभ्यर्थियों को उनके प्रश्नांक नहीं दिये जायेंगे।

- सामान्य अनुदेश**
- 1- अंतिम निश्चित तिथि व समय के पश्चात् किसी भी स्तर के आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अपेक्षित सूचनाओं से रहित तथा ऐसे आवेदन पत्र, जिन पर अभ्यर्थी के फोटो अथवा हस्ताक्षर नहीं होंगे, समय से प्राप्त होने पर भी सरकारी तौर पर निरस्त कर दिये जायेंगे।
 - 2- सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन जमा करने की निश्चित अंतिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ONLINE APPLICATION' प्रक्रिया में SUBMIT बटन को CLICK करने अनिवार्य है। अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गई सूचनाओं का फिन्ट प्राप्त कर लें और इसे सुदृष्टित करें। किसी विद्यार्थन की दशा में अभ्यर्थी को उक्त फिन्ट आयोग कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
 - 3- आरक्षण/आयु सीमा में घूट का लाभ धारण वाले अभ्यर्थी सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी के सम्बन्ध में इस विस्तृत विधान में मुद्रित निश्चित प्राप्ति पर

(परिशिष्ट-2) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उत्तरों अथवा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयु सीमा में घूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक घूट, जो अधिक लाभकारी होगी, ही जायेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जमावृत्ति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनिकों के आश्रित, दिव्यांगता से ग्रस्त, मूलपूर्व सैनिक तथा उत्कृष्ट/संग्राम विलायियों को ही उ०प्र० राज्य के मूल निवासी नहीं है, अतः आरक्षण/आयु सीमा का लाभ अनुसूचित नहीं है। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता स्व से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।

10- आयु अभ्यर्थियों को उम्मीकी पास्ता के सम्बन्ध में केंद्र परामर्श नहीं देते हैं इसलिए उन्हें विद्यार्थन का सार्वजनिकीकृत अध्ययन करना चाहिए और तभी आवेदन पत्र सही संकेतन हो जाये कि वे विद्यार्थन की शर्तों के अनुसार आई हैं। अभ्यर्थियों को पद के लिये बाहिर सभी अर्हताएं आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथि तक अवेष्टन धारित करनी चाहिए।

15- स्वतंत्रता संग्राम सेनिकों के आश्रितों की श्रेणी में केवल पुत्र, पुत्री तथा पुत्र (पुत्र का पुत्र/पुत्री का पुत्र) एवं पीढीया (पुत्री की पुत्री/पुत्री की पुत्री, विवाहित/अविवाहित) ही मान्य है। इस श्रेणी के अम्बन्धी आरक्षण विषयक प्रमाण-पत्र शासनादेश संख्या- 453/79-बी-1-15-1(ग)-14, 15-15, दिनांक 07.04.2015 द्वारा निश्चित प्राप्ति पर विलायितकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

6- किसी कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अपेक्षायोजन/अपराधिकवाद वाद लखित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जोरित पति या पत्नी को होने, तथा/को गलत प्रस्तुत करने तथा अम्बन्धन/चयन के सम्बन्ध में सिक्कारित करने अर्थात् कृष्यों में लित्त पाये जाने पर अम्बन्धन निरस्त करने तथा आयोग की प्रस्तावित परीक्षा व आगामी परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिस्पर्धा (Debar) करने का अधिकार आयोग को होगा।

7- अभ्यर्थी को आन-लाइन आवेदन में कोई कटिवाही हो रही है तो आयोग के वेब पन्ना से अपनी किराया/सम्पत्ता का हल प्राप्त कर सकते हैं।

8- प्रारम्भिक परीक्षा हेतु जिनको की सूची परिशिष्ट-1 पर तथा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों का प्राप्ति परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है। इसी प्रकार प्रारम्भिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है। इसी प्रकार परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम परिशिष्ट-4 पर उपलब्ध है। संविदा के आचार पर स्टाफ नौ के रूप में कार्यरत अभ्यर्थियों के लिये आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र का प्राप्ति परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

Detailed Application Form:
At the online page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully. Candidate has the option to either agree or disagree with the contents of Declaration by clicking on 'I Agree' or 'I do not agree'. Applicants, in case the candidate opts to disagree, the application will be dropped and the procedure will be terminated. Accepting to agree only will submit the candidate's Online Application.

Notification Details
This section shows information relevant to Notification i.e. Notification number, selection type, directorate/department name and post name

Personal Details from OTR
This section shows information about candidate personal details i.e. OTR Number, candidate name, Father/Husband name, Gender, DOB, UP domicile, Category, Marital status, email and contact number, photo & signature, address, UP Freedom Fighter, Ex Army, service duration and your physical challenges, Skilled Family, Outstanding Duration of U.P. Debarred candidate.

Education & Experience Details
It shows your educational and experience details Declaration segment
At the page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully.
After filling all above particulars there is provision for preview your detail before final submission of application form on clicking on "Preview" button.
Preview page will display all facts/particulars that you have mentioned in O.T.R. if you are sure with filled details then click on "Submit" button to finally push data into server with successfully submission report that you can print.

[CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "PRINT" OPTION AVAILABLE]

For other information candidates are advised to select desired option in 'Home Page' of Commission's website
https://apps-cps.nic.in

IMPORTANT ANNOUNCEMENT
- NOTIFICATIONS/ADVERTISEMENTS
- All Notification/Advertisements
- ONLINE APPLICATION FORMS SUBMISSION
- Candidate Registration
- Fee Deposition/Reconciliation
- Submit Application Form
- Modify Submitted Application
- Candidate Dashboard (OTR Based)
- CANDIDATE'S HELP DESK SECTION
- Video Verification mode
- View Application Status
- Download Admit Card
- Print Duplicate Registration Slip
- Print Detailed Application Form
- List of Applications Having ANY Objections
- View Answer Key
- LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS: On-line Application process must be completed (including filling up of OTR, Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to Advertisement, after which the web-link will be disabled.

परिशिष्ट-1
जिन नगरों में प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित की जायेगी वे निम्न प्रकार हैं-
(1) प्रयागराज, (2) लखनऊ, (3) गजियाबाद, (4) मेरठ एवं (5) मोरखपुर

परिशिष्ट-2
उ०प्र० की आयु सूचित जाति तथा अनुसूचित जमावृत्ति के लिये जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी	सुपुत्र/सुपुत्री श्री	ग्राम	तहसील
नगर	जिला	उत्तर प्रदेश राज्य की	जाति के व्यक्ति है जिसे साक्षिजन (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ)/साक्षिजन (अनुसूचित जमावृत्ति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जमावृत्ति के रूप में मान्यता दी गई है।
श्री/श्रीमती/कुमारी	तथा/अथवा उनका परिवार	तहसील	नगर
		सामान्यतया रहता है।	
स्थान	हस्ताक्षर		
दिनांक	पूरा नाम		
पुत्र	पद नाम		
जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परमना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/अथवा वेतन गौरी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी।			

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
सुपुत्र/सुपुत्री श्री
नगर
तहसील

जिला
उत्तर प्रदेश राज्य की
पिछड़ी जाति के व्यक्ति है। यह जाति उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों), अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (स्थासंशोधित) की अनुसूची-10 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
पूर्ववर्त अधिनियम, 1994 (स्थासंशोधित) की अनुसूची-10 जैसा कि उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों), अनुसूचित जमावृत्तियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों), अनुसूचित जमावृत्तियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके अलावा -अतिरिक्त की निरस्त लोके वर्ग की अन्वयि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में क्या विहित दूध सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी
तथा/अथवा उनका परिवार
तहसील
नगर

जिला
सामान्यतया रहता है।

स्थान
हस्ताक्षर

दिनांक
पूरा नाम

पुत्र
पद नाम

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परमना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

(प्रश्न-1)
उत्तर प्रदेश सरकार
कार्यालय का नाम
वार्षिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिवारवर्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी	ग्राम/कस्बा	तहसील
पुत्र/पति/पुत्री श्री		
आधिकारिक	स्थान	तहसील
जिला	राज्य	पिन कोड
किसी निवासी है, जिनका कोटायुक्त नीचे अधिमणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य है, क्योंकि वित्तीय रूप में न होने पर परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित पदों में कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है-		
I. 5 (पांच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अधीन अथवा उसके ऊपर।		
II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का प्लॉट।		
III. अधिव्यक्ति नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग नग्न अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।		
IV. अधिव्यक्ति नगरपालिका से दूतर 200 वर्ग नग्न अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।		
2. श्री/श्रीमती/कुमारी	जाति	
के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जमावृत्ति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिव्यक्ति नहीं हैं।		
हस्ताक्षर	(कार्यालय का मुहर सहित)	
पूरा नाम		
परमना		
जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परमना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।		

(प्रश्न-11)
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तालाई स्वयं घोषणा पत्र

सुपुत्र/पुत्री/पत्नी श्री	ग्राम/कस्बा
---------------------------	-------------

पोस्ट ऑफिस _____ थाना _____ ब्लाक _____
 तहसील _____ जिला _____ राज्य _____
 ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है,
 पत्रद्वारा घोषणा करता/करती हूँ-
 1. मैं _____ जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिवृत्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।
 2. मेरे परिवार को कुल स्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रु _____ (शब्दों में) है।
 3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सत्यापन अथवा इसके अतिरिक्त अन्य कोई परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) _____ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ।
 4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है-
 I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे ऊपर।
 II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का प्लॉट।
 III. अधिवृत्त नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
 IV. अधिवृत्त नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
 मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पत्रांतर धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप में जानता हूँ/जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाना प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

नोट- जो लागू नहीं हो उसे काट दें।
स्थान :- आवेदन/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पुरा नाम।
दिनांक:-

उपरोक्त के दिव्यांग व्यक्तियों के लिये प्रमाण-पत्र (दिव्यांगजन प्रारूप)

Form-II

Certificate of Disability

(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in case of blindness)
 (Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

Certificate No. _____ **Date:** _____
 This is to certify that I have carefully examined
 Shri/Smt./Kum. _____ son/wife/daughter of Shri _____
 Date of Birth (DD/MM/YY) _____ Age _____
 years, male/female _____ registration No. _____
 permanent resident of House No. _____
 Ward/Village/Street _____ Post office _____
 District _____ State _____
 whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

- (A) he/she is a case of:
 ● locomotor disability
 ● dwarfism
 ● blindness
 (Please tick as applicable)
 (B) The diagnosis in his/her case is _____
 (C) he/she has _____ % (in figure) percent (in words) permanent locomotor disability/dwarfism/blindness in relation to his/her _____ (in words) permanent locomotor disability/dwarfism/blindness in relation to his/her _____ (part of body) as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified).
 2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority Issuing certificate

3. Signature and seal of the Medical Authority.
 (Dr.....) (Dr.....) (Dr.....)
 Member Member Chairperson
 Medical Board Medical Board Medical Board
 with seal with seal with seal

Counter signed by the person in whose favour certificate of disability is issued
 Chief Medical Officer (with seal)

Form-III
Certificate of Disability
(In cases of multiple disabilities)
 (Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

Certificate No. _____ **Date:** _____
 This is to certify that we have carefully examined
 Shri/Smt./Kum. _____ son/wife/daughter of Shri _____
 Date of birth (DD/MM/YY) _____ age _____
 years, male/ female _____ Registration No. _____
 permanent resident of House No. _____
 Ward/Village/ Street _____ Post Office _____
 District _____ State _____ whose photograph is affixed above, and am satisfied that:
 (A) he/she is a case of Multiple Disability. His/her extent of permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the table below:

S. N.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in%)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid attack Victim			
7.	Low Vision	#		
8.	Blindness	#		
9.	Deaf	£		
10.	Hard of Hearing	£		
11.	Speech and Language disability			
12.	Intellectual Disability			
13.	Specific Learning Disability			
14.	Autism Spectrum Disorder			
15.	Mental illness			
16.	Chronic Neurological Conditions			
17.	Multiple sclerosis			
18.	Parkinson's disease			
19.	Haemophilia			
20.	Thalassemia			
21.	Sickle Cell disease			

(B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified), is as follows:-
 In figures.....percent.
 In words.....percent

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.
3. Reassessment of disability is:-
 (i) not necessary,
 or
 (ii) is recommended/after..... years..... months, and therefore this certificate shall be valid till..... (DD) (MM) (YY)
 @ - e.g. Left/right/both arms/legs
 # - e.g. Single eye
 £ - e.g. Left/Right/both ears
 4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority Issuing certificate

5. Signature and seal of the Medical Authority.
 (Name and Seal of Member) (Name and Seal of Member) (Name and Seal of the Chairperson)

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued
 Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

Form-IV
Certificate of Disability
(In cases of other than those mentioned in Forms I and III)
 (Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

Certificate No. _____ **Date:** _____
 This is to certify that I have carefully examined
 Shri/Smt./Kum. _____ son/wife/daughter of Shri _____
 Date of birth (DD/MM/YY) _____ age _____
 years, male/ female _____ Registration No. _____
 permanent resident of House No. _____
 Ward/Village/ Street _____ Post Office _____ District _____ State _____, whose photograph is affixed above and satisfied that he/she is a case of disability.
 His/her extent of percentage physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified) and is shown against the relevant disability in the table below:-

S. N.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in%)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Cerebral Palsy			
5.	Acid attack Victim			
6.	Low Vision	#		
7.	Deaf	£		
8.	Hard of Hearing	£		
9.	Speech and Language disability			
10.	Intellectual Disability			
11.	Specific Learning Disability			
12.	Autism Spectrum Disorder			
13.	Mental illness			
14.	Chronic Neurological Conditions			
15.	Multiple sclerosis			
16.	Parkinson's disease			
17.	Haemophilia			
18.	Thalassemia			
19.	Sickle Cell disease			

(Please strike out the disabilities which are not applicable)
 2. The above condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.
3. Reassessment of disability is:-
 (i) not necessary, or
 (ii) is recommended/after..... years..... months, and therefore this certificate shall be valid till (DD/MM/YY).....
 @ - e.g. Left/right/both arms/legs
 # - e.g. Single eye/both eyes
 £ - e.g. Left/Right/both ears
 4. Signature and Seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued
 Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (हाथरिक्त) रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और मृतपुत्र सैनिकों के लिये आरक्षण अधिनियम, 1993 (व्यवस्थापित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए प्रमाण-पत्र
 प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ नगर/निवासी _____ जिला _____ तहसील _____
 उत्तर प्रदेश लोक सेवा (हाथरिक्त) रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और मृतपुत्र सैनिकों के लिये आरक्षण अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित) _____ पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्र (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरोक्त अधिनियम, 1993 (व्यवस्थापित) के प्रावधानों के अनुसार उत्तर राज. श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं।
 स्थान: हस्ताक्षर _____
 दिनांक: पुरा नाम _____

मुहर _____
 जिलाधिकारी _____
 खोल _____

कुशल खिलार्थियों के लिये प्रमाण-पत्र जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं
शासनद्वारा संख्या-22/21/1983-कॉमि-क-2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985
प्रमाण-पत्र के फार्म - 1 से 4

प्राधुन्य - 1
(मायका प्राप्त क्रीडा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय
प्रतिस्पर्धी में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन /राष्ट्रीय एंथोपेसिएन का नाम _____
 राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलार्थियों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री _____ निवासी _____ पूरा पता _____ से दिनांक _____ तक _____ (स्थान का नाम) में आयोजित _____ (क्रीडा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/द्वैतनिष्ठ में देश की ओर से भाग लिया।

उपरोक्त टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/द्वैतनिष्ठ में _____ स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एंथोपेसिएन / (वर्षों संख्या का नाम दिनांक) में उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर दिया गया है।

स्वास्थ्य _____
 हस्ताक्षर _____
 दिनांक _____
 पद _____
 संस्था का नाम _____
 मुहर _____

नोट : यह प्रमाण-पत्र नेहाल फेडरेशन/एंग्लो एंथोपेसिएन के संघिय द्वारा व्यक्तित रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्राधुन्य - 2
(मायका प्राप्त क्रीडा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय
प्रतिस्पर्धी में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)
(सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एंथोपेसिएन का नाम)
राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलार्थियों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री _____ निवासी (पूरा पता) _____ से दिनांक _____ तक _____ (क्रीडा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता (द्वैतनिष्ठ स्थान का नाम) में आयोजित राष्ट्रीय _____ (क्रीडा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/द्वैतनिष्ठ में प्रदेश की ओर से भाग लिया।

उपरोक्त टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/द्वैतनिष्ठ में _____ स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र _____ (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर दिया गया है।

स्वास्थ्य _____
 हस्ताक्षर _____
 दिनांक _____
 पद _____
 संस्था का नाम _____
 मुहर _____

नोट : यह प्रमाण-पत्र प्रदेशीय खेल-कूद संघ के संघिय द्वारा व्यक्तित रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्राधुन्य - 3
(मायका प्राप्त क्रीडा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से
अन्तर्राष्ट्रीयप्रमाणित प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)
विश्वविद्यालय का नाम _____ राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर
नियुक्ति के लिए कुशल खिलार्थियों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री _____ निवासी _____ विश्वविद्यालय की कक्षा _____ के विद्यार्थी ने दिनांक _____ से दिनांक _____ तक _____ (स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीयप्रमाणित _____ (क्रीडा/खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता/द्वैतनिष्ठ में विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उपरोक्त टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/द्वैतनिष्ठ में _____ स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल द्वारा व्यक्तित रूप से किये गये हस्ताक्षर रिकार्डों के आधार पर दिया गया है।

स्वास्थ्य _____
 हस्ताक्षर _____
 दिनांक _____
 पद _____
 संस्था का नाम _____
 मुहर _____

नोट : यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल-कूद द्वारा व्यक्तित रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्राधुन्य - 4
(मायका प्राप्त क्रीडा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल-कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)
डाइरेक्टरेट ऑफ फिजिक हेल्थ/इन्टरकाच/शिक्षा, उत्तर प्रदेश _____
राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलार्थियों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री _____ निवासी (पूरा पता) _____ से दिनांक _____ तक _____ (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के शैक्षणिक मैच की _____ (क्रीडा/खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता/द्वैतनिष्ठ में _____ स्कूल की ओर से भाग लिया। उपरोक्त टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/द्वैतनिष्ठ में _____ स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र डाइरेक्टरेट ऑफ फिजिक हेल्थ/इन्टरकाच/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर दिया गया है।

स्वास्थ्य _____
 हस्ताक्षर _____
 दिनांक _____
 पद _____
 संस्था का नाम _____
 मुहर _____

नोट : यह प्रमाण-पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्टरेट ऑफ फिजिक हेल्थ/इन्टरकाच/शिक्षा द्वारा व्यक्तित रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।

परिशिष्ट-3
प्रारम्भिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना

1. सामान्य ज्ञान	-	30 प्रश्न (वस्तुनिष्ठ प्रकारक)
2. सामान्य हिन्दी	-	20 प्रश्न (वस्तुनिष्ठ प्रकारक)
3. प्रमुख विषय नर्सिंग	-	120 प्रश्न (वस्तुनिष्ठ प्रकारक)
कुल प्रश्न	-	170 प्रश्न
परीक्षा अवधि (समय)	-	02 घण्टे (120 मिनट)
पूर्णांक	-	85 अंक

प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम
सामान्य ज्ञान का पाठ्यक्रम

- (1) भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन**:- भारतीय इतिहास के अनर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की सामान्य जानकारी पर महत्व होगा। भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन पर अर्थव्यवस्था के स्वतंत्रता आन्दोलन, राष्ट्रीयता का अमुद्यत् तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में साक्षरक जानकारी अधिकृत है।
- (2) भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक प्रभुत्व**:- भारत के भूगोल के अनर्गत देश के भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक प्रभुत्व से संबंधित प्रश्न होंगे। विश्व भूगोल में विषय की केवल सामान्य ज्ञान तक अधिकृत होगा।
- (3) भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पाठ्यतरी, राज, लोकनीति एवं अधिकारिक मुद्दे आदि**:- भारतीय राजनीति एवं शासन के अनर्गत देश के संविधान, पंचायती राज तथा सांघादयिक व्यवस्था सहित राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे।
- (4) भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास**:- अर्थव्यवस्था के जनसंख्या, पर्यावरण तथा नगरावस्था से संबंधित समस्याओं एवं परास्तरिक प्रश्न, भारतीय आर्थिक नीति एवं भारतीय संस्कृति के व्यापक स्वरूप के ज्ञान का परीक्षा विधा जायेगा।
- (5) राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की सार्वभूमिक घटनाएँ**:- इसमें खेलकूद के प्रश्न भी सम्मिलित होंगे।
- (6) भारतीय कृषि**:- भारत में कृषि, कृषि उत्पाद एवं उसके विभिन्न के संबंध में सामान्य ज्ञानकारी की अपेक्षा अर्थव्यवस्था से होगी।
- (7) सामान्य विज्ञान**:- सामान्य विज्ञान के प्रश्न द्वैत निष्ठ समान तथा प्रश्न से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के विज्ञान परीक्षा के अनुसार पर आधारित होंगे, जिसकी सूची फिक्ती भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है। इसमें भारत के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका से संबंधित प्रश्न भी होंगे।
- (8) प्रारम्भिक योगिता सहित शारीरिक स्तर तक**:- अंकगणित, बीजगणित तथा रसायनगणित।

अनुपेक्षा:- अर्थव्यवस्था से यह अपेक्षित होगा कि उत्तर प्रदेश के विशेष परिक्षेत्र में उपयुक्त विषयों का उन्हें सामान्य परीक्ष्य हो।

- सामान्य हिन्दी**
- (1) विलोक
 - (2) वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि
 - (3) अनेक शब्दों के अर्थ शब्द
 - (4) तरसम एवं तदवयव
 - (5) विश्वेय और विश्वेषण
 - (6) पर्यायवाची शब्द
- नर्सिंग**

- 1. एनाटॉमी और फिजियोलॉजी**:- कंकाल तंत्र, मांसपेशी प्रणाली, हृदय-रक्त संचार तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, तांत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, प्रजनन तंत्र और इन्द्रियौं।
- 2. नर्सिंग की बुनियादी बातें**:- एक पेशे के रूप में नर्सिंग, चिकित्सीय बालारण्य का रख-रखाव, नर्सिंग क्रियायता व नर्सिंग सेवा-सुशुभ्यता योजना, नर्सिंग करत रचना, एक नर्सज को नती करना और अस्पताल से छुट्टी दिनांक, मरणासन सेवा, आरोग्य विचारक अर्थकथायें एवं शारीरिक विषयक अध्ययनकथायें, गतिविधि और व्यायाम, सुखा संबंधी अध्ययनकथायें, उत्तरजन्त विषयक आवश्यकतायें एवं विश्व परितस्थितियों में देवद्वेष, पोषण संबंधी जलसत की पूर्ति, रोगी का अलोकन, उपकरणों की देखभाल, संकमान सेवा परिचर्या, दवाधर्मो, दवा, रिकार्डिंग और रिपोर्टिंग।
- 3. प्राथमिक चिकित्सा**:- प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ एवं नियम।
- आगत स्थिति जैसे**:- आना, भूख, अलोल, अधिभ्रम, तृप्यता, अविज्ञानता, झूठना, रक्त सावधानता, कीड़े का काटना, फोने बातें। घायल का स्थानान्तरण, पट्टी बांधने और सफाई बांधना, नर्सों की तत्कारण एवं बाद में भूमिका।
- 4. मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग**:- मेडिकल एवं सर्जिकल चिकित्सा की स्थानान्तरण (संज्ञान) में नर्स की भूमिका एवं जिम्मेदारी। सर्जिकल रोगी की देखभाल, पोषिक्रिया (निवहनकथा)। हृदय रक्त संचार तंत्र, पाचन तंत्र, जनन तंत्र एवं मूत्र प्रणाली, तांत्रिका तंत्र के रोग। श्वसन तंत्र, मांसपेशी, हड्डी तथा शरीर प्रणाली के विकार और रोग। रक्त विकार और रक्त द्रव्यसूजन (वहन) और श्वासी तंत्र, मेड्युलरी संबंधी विकार एवं कमी से होने वाले बीमारियों व शरा की अलिकला और अलयात, गिरे/उपहार, मुहूर्ध, मोटापा, गटिया। (तथा, कान, नोक एवं गले के रोग।) और के रोग, भारत और रोग, सचन चिकित्सा नर्सिंग, सामान्य कर्मियों के कारण होने वाले रोग, विकार में पाए जाने वाले, प्रारिक्त लक्षण, रोकथाम एवं उपचार।
- 5. संचारी रोग**:- वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोसॉय और मध्वर।
- 6. नुनोरोल नर्सिंग**:- परिचर्य, सामुदायिक जिम्मेदारी, निदान, प्रबन्धन एवं नर्स की भूमिका।

- 7. सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग**:- संरक्षणना, सामुदायिक स्वास्थ्य की परिभाषा, संरक्षणना और सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में और, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग की विशेषताएं एवं कार्य, सामुदायिक स्वास्थ्य, नर्सिंग के कार्य, जनसांख्यिकी और परिवार कल्याण, स्वास्थ्य टीम: सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचएफटी), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी), तथा उपकेन्द्र-नर्सिंग प्रभुत्व। विभिन्न स्तरों पर विभिन्न कार्मिकों की भूमिका: प्रुष और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, पब्लिक हेल्थ नर्स, पब्लिक हेल्थ नर्स सुपरवाइजर, महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सांख्यिकी, स्वास्थ्य शिक्षा एवं परिवार कल्याण।
- 7. गिनाइजल एंड गानुनोलोजिकल नर्सिंग**:- प्रसवना और परिभाषा, सामान्य गर्भासन, प्रसव-पूर्व देखभाल, गर्भावस्था में आहार से संबंधित सलाह एवं देखभाल, प्रसव पूर्व व्यायाम, गर्भावस्था के सूक्ष्म विकार और अनुसुक्ति को दूर करना, गर्भावस्था से संबंधित रोग। सामान्य प्रसव की तैयारी: प्रसव का प्रश्न प्रश्न, विशिष्ट शरण एवं तुरीय जन्म। जन्म व शिशु के निर्णय प्रबन्धन, माता के सुविकारकथायें के दौरान प्रबन्धन, गर्भावस्था की जटिलतायें और उसके प्रबन्धन, उच्च जोखिम युक्त गर्भावस्था और उसके प्रबन्धन, प्रसूति जटिलताएँ, सुविकारकथायें संबंधित जटिलताएं व प्रबन्धन, प्रसव शल्य क्रिया, प्रसूति में औपेक्षिक का इस्तेमाल, दाईं और स्त्री रोग नर्सिंग से संबंधित नैतिक और कानूनी बहव,

प्रजनन और बीजपन, बाल एवं महिला प्रजनन प्रणाली के रोग एवं विकार।

8. श्वासी नर्सिंग:- रक्त स्वास्थ्य देखभाल और बच्चे की देखभाल में बाल नर्स की भूमिका एवं संरक्षणना, स्वरथ्य बहव, शिशु/शुशुओं के विकार, मानवाता और जनजात विचारणीयता का प्रबन्धन, रसनापान, टीका आहार, प्रसव शल्य क्रिया के पूर्व व बाद की देखभाल, निजगत देखभाल व बच्चे की लक्षण चिकित्सा के लिये माता-पिता की तैयारी, बाल रोग: कारण, चिकित्सा एवं लक्षण, मेडिकल और सर्जिकल प्रबन्धन, नर्सिंग देखभाल, जटिलता, आहार और इला थेरेपी, रोग संबंधित रोकथाम और उपचार, बहव एवं चिकित्सा-पाचन तंत्र प्रणाली, श्वसन प्रणाली, जनन-नूतन प्रणाली, हृदय रक्त परिसंचरण तंत्र, तांत्रिका तंत्र, और और कान, पोषण संबंधी शिक्षा, संचारी रोग, रक्त विकार, और श्वास शिक्षण, बाल्य स्वास्थ्य अपाठ स्थित, मानसिक विकार समस्यायें और चिकित्सा गणित।

9. व्यवसायिक रुग्णन एवं प्रमाणयोजन-परिष्कार और नर्सिंग सेवा के मादरवृद्ध:- परिभाषा और नर्सिंग सेवा के मानवत्व, एक पेशेवर नर्स के गुण, व्यक्तिगत पेशेवर विकास और नर्सिंग में करियर, अव्यक्तिक व संचित संघर्ष: अन्तराष्ट्रीय कॉलिंग और नर्स (अइंश्रीसीसी), भारतीय नर्सिंग परिषद (अइंश्रीसीसी), स्टेट नर्सिंग परिषद, विश्व स्वास्थ्य संरक्षण, युरिस्टिक, दुग्ध नर्स परिचर्य, और इण्डिया (टीएनएचएओ), रेडकॉर, नर्सिंग में कानून।

10. महडकोमवालीयोजन:- नर्सिंग में महडकोमवालीयोजन के ज्ञान की उपयोगिता एवं समन्वयनायें, महत्व, महडकोमवालीयोजन का अर्थकल्याण, संरक्षणन कर्मा को प्राथमिक करने वाले कारण, संरक्षणन के स्टाफ, सूचना जीवों के प्रक्षेप और निरकार का द्वारा, संरक्षणन का संवरण, ननुना संरक्षणन और ननुना संरक्षणन करते सन दिनामा में खले जाने वाला सिद्धान्त, रोग क्षमता, निरक्षणन एवं सूचन जीवों का विशाल।

11. ननुनिष्ठिज्ञान:- परिभाषा, नर्सों के लिये महत्व एवं अवसर, मानव व्यवहार का ननुनिष्ठिज्ञान- भावनायें, रुच्य, कुण्डा और सुखा तंत्र, व्यक्तिगत, सुचिक्या और संबंधित चिकार, सूचनाएं एवं अवलोकन।

12. सामुदायिक नर्सिंग:- सामुदायिकशास्त्र का महत्व, समुदाय का सामाजिक, सांख्यिकिक एवं आर्थिक पहलुओं का स्वाध्य एवं बीमारी पर उक्तक प्रभाव, परिचर्य, सामाजिक संस्था और स्वास्थ्य सेवा के लिये परिचर्य एक बुनियादी कर्मा, परिवर्य की जटिलता आदरकथायें, योजनामदत-रेफरेंडुड के ज्ञान, समाज: समाज की अन्वेषणना, ग्रामोण्य एवं शहरी समाज, सामाजिक समस्यायें, अधिवाहक मारपीत, दहेज, धन, नशाखोली, मद्यपान, विशाल अपराधवृत्ति, विरक्षणन, का संवरण, परेष, शिक्षा, महिला उद्योगी, विशाल सामाजिक संस्थायें एवं उपचारकल्याण उपया। अर्थव्यवस्था: दुग्ध-जनसंख्या-कृषिक्रिया, व्यावसायिक, कृषि, औद्योगिक आदि, सामाजिक सेवा के संरक्षणना-व्यवस्था-अर्थव्यवस्था पर इस्का प्रभाव और जनसंख्या नियंत्रण के लिये आवश्यककथायें, परिचर्यक वृद्ध, प्रति व्यक्ति आय और स्वास्थ्य एवं बीमारी पर इस्का अध्ययन।

13. व्यक्तिगत स्वच्छता:- स्वास्थ्य की देखभाल, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य।

14. पर्यावरण स्वच्छता:- जल- सुरक्षित एवं शुद्ध जल, जल का उपयोग, जल प्रदूषण, जल जोतन रोग, जल का शुद्धिकरण। वायु- वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण के बचाव एवं रोकथाम। धरत: मलमूत्र, सौरज, सेतु, सेतु को खतरा, कूड़ा कण्टन, स्वास्थ्य के लिये हानिकारक वदरेंडुड को हटाने एवं उसका निराकरण। आवासीय- शौर।

15. नर्सिंग में कम्यूटर:- डिजक आपरेटिंग प्रणाली, कम्यूटर की नर्सिंग में उपयोगिता, इण्टरनेट और ईमेल।

परिशिष्ट-4
मुख्य (लिखित) परीक्षा हेतु परीक्षा योजना
पाठ्यक्रम- मुख्य (लिखित) परीक्षा हेतु नर्सिंग विषय का पाठ्यक्रम
प्रारम्भिक परीक्षा की गांथि ही रहेगा।

	मुख्य विषय
1. प्रश्न पत्र	- एक
2. सामाजिक	- 03 घण्टा
3. पूर्णांक	- 85 अंक

परीक्षा योजना:- पूर्व पाठ्यक्रम के आधार पर नर्सिंग विषय (समस्ततः) परामर्श की रचना हेतु प्रश्नपत्रों के स्वरूप एवं अंको का विभाजन निम्नतत है-
 प्रश्न पत्र बाधणों में विभाजित रहेगे।
सूक्ष्म :- में कुल पाँच लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न कक्षा और अनिवार्य हों।
 प्रत्येक प्रश्न 05 अंक (अधिकतम शब्द सीमा 125)
सूक्ष्म :- में कुल छ: लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, अन्धको को नर्सों से कोई बड़ा प्रश्न हल करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होगा। (अधिकतम शब्द सीमा 300)

परिशिष्ट-5
अनुभव प्रमाण पत्र

कार्यालय का नाम व पत्रांक _____ दिनांक _____

नयगो अधीनस्थ नर्सिंग (अराज्यनित) सेवा (वर्तुर्थ संशोधन)
सुपरीमा-2016 के फियन-16(53)के अधीनस्थ नर्सिक नर्स के रूप में कार्य के आधार पर कार्यालय अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र का प्राप्य:-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____पु/पुत्री/पत्नी श्री _____ का निवास _____ स्थान निवासी।
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग उ०ग० के अनर्गत चिकित्सालय _____ एवं चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, उ०ग० के अनर्गत राजकीय मेडिकल कालेज _____ तथा उ०ग० सरकार के राजकीय चिकित्सालय _____ के अनर्गत श्री/श्री/श्रीमती _____ दिनांक _____ से दिनांक _____ तक सांघित स्टाफ नर्स (पुष्क/सर्जिकल) के पद पर देतमान रू _____

प्रकार _____
 स्थान _____
 दिनांक _____
 हस्ताक्षर _____
 (मुख्यचिकित्साधिकारी/सी०एम०एन०(30/0)/रजिस्टर/प्रमाणपत्र/निदेशक/प्रमुख अधीकारक)
नोट:- 1. जहाँ सांघित कार्मिक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं सेवाएं उ०ग० के अनर्गत कार्यालय में तब अनुभव प्रमाण पत्र सन्वयित मण्डल के अपर निदेशक स्वास्थ्य द्वारा परिष्कारसाधित होना अनिवार्य है।
 2. आउट सोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत स्टाफ नर्स का अनुभव मान्य नहीं होगा।